न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मसूदा जिला–अजमेर (राज0)

राजस्व वाद संख्या 37 / 2017

1. प्रेमदेवी बालिग पुत्री गोपाल जाति जाट
2. गंगा बालिग पुत्री गोपाल जाति जाट

समस्त निवासियान गांव दौलतपुरा प्रथम, तहसील बिजयनगर जिला अजमेर राज0।

————वादीगण

ब ना म

1. श्री हंसराज बालिग पुत्र रामकुवार
2. श्रीमती शांतिदेवी पत्नि रामस्वरूप

जाति जाट निवासी दौलतपुरा प्रथम तहसील बिजयनगर जिला अजमेर राज0।

3. राजस्थान सरकार जरिये भू–धारक तहसीलदार बिजयनगर
4. राजस्थान सरकार जरिये उप पंजीयक बिजयनगर

———प्रतिवादीगण

वादपत्र अंतर्गत धारा 53, 88, 188, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

अंतिम निर्णय

दिनांक 9.5.2018

इस न्यायालय द्वारा दिनांक 28.2.2018 को निर्णय व प्रारंभिक डिक्री पारीत की गई। जिसके तहत तहसीलदार बिजयनगर को पत्र कमांक 46 दिनांक 5.3.2018 को डिक्री की पालना हेतू तहरीर जारी की गई। अनुपालना में तहसीलदार बिजयनगर ने बंटवारा प्रस्ताव तैयार कर अपने पत्र कमांक 2018 / 11 दिनांक 9.5.2018 को प्रस्तुत किया गया।

वादीगण द्वारा प्रार्थना पत्र वास्ते बंटवारा प्रस्ताव पुनः संशोधित मंगवाने बाबत पेश कर कथन किया है, कि माननीय न्यायालय में जो बंटवारा प्रस्ताव पेश किया है, उसमें रकबा 01–10–00 के भी 1/3–1/3 हिस्से कर दिये है, जिससे उक्त 1/3 हिस्से में किसी भी प्रकार की कोई कानूनन काश्त नही की जा सकती है, और ना ही 1/3 हिस्से में ट्रेक्टर से हंकाई की जा सकती है। वादीगण एंव प्रतिवादी हंसराज के मध्य गांव मौतविरान की समझाईस के आधार पर राजीनामा किया गया जिसमें अलग अलग खसरे के अनुसार पूरा खसरा वादीगण एंव प्रतिवादी संख्या 1 का दिया गया है, और राजीनामा के मुताबिक खसरा नंबर 286 रकबा 01–10–00 व खसरा नंबर 884 रकबा 01–19–00, 872 रकबा 13–00–10 कुल रकबा 03–12–10 हंसराज के हिस्से में दी गयी है शेष आराजियात वादीगण के हिस्से में आयी गई और उसी मुताबिक मौके पर काबिज है, अतः वादीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर उक्त राजीनामा के आधार पर नया बंटवारा प्रस्ताव मंगवाये जाने का आदेश पारीत किया जावे।

मेरे द्वारा प्रार्थना पत्र के परिपेक्ष में पत्रावली का अवलोकन किया गया बाद अवलोकन इस न्यायालय द्वारा जारी की गई निर्णय व प्रारंभिक डिक्री के अनुसार बंटवारा प्रस्ताव तहसीलदार बिजयनगर द्वारा प्रस्तुत किया गया तथा रेकार्ड के अनुसार खसरा नंबर 884 रकबा 02–04–00 की भूमि प्रतिवादी संख्या 1 हंसराज की खातेदारी में दर्ज होना नही पाया गया है, जबकि उक्त प्रार्थना पत्र में उक्त भूमि के रकबा 01–19–00 को हंसराज के हिस्से में दर्ज किये जाने का कथन किया गया है। जबकि खसरा नंबर 884 के खातेदार द्वारा उक्त भूमि खसरा नंबर 884 का कोई भी हक हिस्सा प्रतिवादी हंसराज को बेचान नही किया जाना पाया गया और उक्त बंटवारा प्रस्ताव में केवल मात्र वादीगण के ही हस्ताक्षर होना पाया गया है इस प्रकार केवल मात्र हंसराज द्वारा स्टाम्प ड्यटी बचाने की दृष्टि से वादीगण द्वारा यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जाना पाया जाता है, ऐसी स्थिति में उक्त विवेचन के आधार पर वादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नही पाये जाने से अस्वीकार किया जाता है। तथा तहसीलदार बिजयनगर द्वारा प्रस्तुत बंटवारा प्रस्ताव के अनुसार अंतिम निर्णय

राजस्व वाद संख्या 37 सन् 2017

श्रीमति प्रेमदेवी वगैरह बनाम श्री हंसराज वगैरह

/ / 2 / /

वादीगण तथा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के संयुक्त हिस्से में तथा खसरा नंबर 286/1 रकबा 00–10–00, 872/1 रकबा 00–10–00, 874/1 रकबा 00–18–06, 877/1 रकबा 00–17–17, 1053/1 रकबा 00–14–13 वादीया संख्या 1 प्रेमदेवी पुत्री गोपाल कौम जाट के हिस्से में तथा खसरा नंर 286/2 रकबा 00–10–00, 872/2 रकबा 00–10–00, 874/2 रकबा 00–18–07, 877/2 रकबा 00–17–17, 1053/2 रकबा 00–14–13 प्रतिवादी संख्या 1 हंसराज पुत्र रामकुंवार कौम जाट के हिस्से में तथा खसरा नंबर 286/3 रकबा 00–10–00, 872/3 रकबा 00–10–00, 874/3 रकबा 00–18–07, 877/3 रकबा 00–17–17, 1053/3 रकबा 00–14–14 वादी संख्या 2 गंगा पुत्री गोपाल कौम जाट के हिस्से में तथा खसरा नंबर 884/1 रकबा 00–14–13 वादीया संख्या 1 प्रेमदेवी पुत्री गोपाल के हिस्से में तथा खसरा नंबर 884/2 रकबा 00–14–13 प्रतिवादी संख्या 2 श्रीमति शांतिदेवी पत्नि रामस्वरूप कौम जाट के हिस्से में तथा खसरा नंबर 884/3 रकबा 00–14–14 वादीया संख्या 2 गंगा पुत्री गोपाल के हिस्से में रखे जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार बिजयनगर को यथानुसार राजस्व रेकार्ड में पृथक पृथक खाते कायम करने एंव लगान कायम करने तथा राजस्व नक्शे में यथानुसार तरमीम किये जाने के आदेश दिये जाते है। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करें। तदनुसार अंतिम डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 09.05.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुरेश चावला)
आर0ए0एस0
उपखण्ड अधिकारी मसूदा
मसूदा (अजमेर) राज०

Signature Not Verified

Digitally signed by Mohan Lal Khatnawalia
Date: 2019.12.04 17:24:44 IST
Reason: SelfAttested
Location: